आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

शस्त्र अपील वाद सं0–99/2024

देव कुमार उर्फ देव कुमार.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य.....विपक्षी

आदेश

12.08.2024

प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 3144/2024 में दिनांक 13.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर दायर किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित हैः–

"..... the learned counsel for the petitioner seeks liberty on behalf of the petitioner to challenge the order dated 22.09.2023 passed by the District Magistrate, Gopalganj in Arms License Case No. 03 of 2023 by filing appropriate appeal. Liberty, so sought, is granted.

It is needless to state that in case appropriate appeal is filed within a period of two weeks from today, the appellate authority shall consider the same on merits, without being impeded by the issue of limitation and pass a reasoned and a speaking order, forthwith.

The writ petition stands disposed off on the aforesaid terms.."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय–वस्तु यह है कि आवेदक श्री देव कुमार, पिता–श्री परमा साह, सा0–ब्रहम स्थान चौक, वार्ड सं0–16, थाना+जिला–गोपालगंज द्वारा नई शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसके क्रम में जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज के आदेश दिनांक 20.02.2019 द्वारा **Arms Rules, 2016** के प्रावधानो के तहत आवेदन करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 13638/2019 दायर किया गया। जिसमें सुनवाई के पश्चात दिनांक 25.07.2023 को पारित आदेश में अपीलकर्त्ता को **Arms Rules, 2016** के प्रावधानो के तहत जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा जिला दण्डाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई शस्त्र वाद सं0–03/2023 के रूप में की गयी है। शस्त्र वाद सं0–03/2023 की सुनवाई के पश्चात दिनांक 22.09.2023 को पारित आदेश में अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 3144/2024, दायर

क़िया गया, जिसमें दिनांक 13.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि अपीलकर्त्ता, शहर के एक बड़े स्वर्ण व्यवसायी है, उनका दो स्वर्ण आभूषण की दुकान शहर में है जिस कारण प्रतिदिन पैसो के लेन-देन का कार्य होता है। उनके द्वारा G.S.T के माध्यम से सरकार को टैक्स का भुगतान भी किया जाता है। चूँकि गोपालगंज शहर सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश एवं सीमावर्ती जिला-पश्चिम चम्पारण से सटा हुआ है, ऐसी स्थिति में उन्हे एवं उनके परिवार को अपराधियों से हमेशा ख़तरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में उन्हे अपने परिवार एवं संपति की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजन द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए बताया गया कि अपीलकर्त्ता के जान-माल के सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष ख़तरा/भय पुलिस प्रतिवेदन में दर्ज नहीं है। आवेदक द्वारा G.S.T के माध्यम से कर दाता होने की बात कहा गया है, परन्तु इससे संबंधित कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आगे कहा गया कि जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया है कि अपीलकर्त्ता को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई पर्याप्त कारण या आधार नहीं है। बिना यथेष्ठ कारण अनुज्ञप्ति निर्गत करने से अनावश्यक शस्त्रों की होड़ मच जायेगी जिससे विधि-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालीय आदेश का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता द्वारा शहर के प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी होने एवं प्रतिदिन रुपये के लेन-देन का कारोबार किये जाने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्ति की प्राप्ति हेतु अनुरोध किया गया है। जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा पुलिस प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता के जान-माल पर किसी ख़तरे की आशंका व्यक्त नहीं किए जाने के आधार पर उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु किए गए अनुरोध का खंडन किया गया है।

मामलें के विश्लेषण के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित कतिपय निर्णय यथा **Manish Kumar & ors. Vs The State of Bihar & ors.** में पारित आदेश जो **PLJR(2015)4,212** में उल्लेखित है *कि " in my considered opinion, the licensing authority cannot apply its discretion in a manner to hold that lack of evidence regarding threat perception would make the applicant unfit for grant of licence under section 14(1)(b)(i)(3) of the Act. The*

provision has to be read necessarily as the same is there without substituting or taking away anything therefrom. It clearly lays down that the licence can be refused if the applicant is found unfit for any reason under the Act.'' तथा **The State of Bihar & ors. Vs Deepak Kumar** में पारित आदेश जो PLJR (2019)1664 में उल्लेखित है कि *"in our opinion, would be contrary to the intent of grant of licence inasmuch as it is not necessary that a person should have an actual threat or imminent threat perception, but it would suffice if the applicant is able to persuade the authority to take into consideration the nature of his trade profession and calling for the purpose of grant of license which situation has now been taken care of under Sub-Rule (3)(a) of Rule 12 of the 2016 Rules."* के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा केवल वास्तविक खतरे की आशंका ही नहीं बल्कि Arms Rules, 2016 के कंडिका 12 (3)(a) में अंकित प्रावधान *"any person who by the very nature of his business, profession, job or otherwise has genuine requirement to protect his life and/or property...."* के आलोक में भी किसी आवेदनकर्त्ता को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने के बिन्दु पर भी विचार किए जाने का सुझाव दिया गया है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में प्रस्तुत वाद जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा **Manish Kumar (Supra)** एवं **Deepak Kumar (Supra)** में दिए गए observation के आलोक में एवं Ministry of Home Affairs IS-II Division/Arms Section New Delhi के पत्र सं0–V-11016/16/2009-Arms, दिनांक 31.03.2010 के कंडिका (ii)(b) में उल्लेखित बिन्दुओं *(i) antecedents of the applicant, (ii) assessment of the threat, (iii) capability of the applicant to handle arms, and (iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence* पर संबंधित पदाधिकारियों से बिन्दुवार स्पष्ट मंतव्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त कर अपीलकर्त्ता को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने के बिन्दु पर एक सुस्पष्ट एवं मुखर आदेश पारित करें।

उपर्युक्त निदेश के साथ प्रस्तुत वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।